इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305] भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 जुलाई 2015—श्रावण 5, शक 1937

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2015

क्र. एफ 2 (अ)-13-2013-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक तृतीय-श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक-2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			लिपिकवर्गीय			
"गृह (पुलिस) मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट	मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक (अराजपत्रित) सेवा 2. रोकड़िया	1	-	100 प्रतिशत	-	1. भण्डारी/सहायक ग्रेड-3 जिसे इस संस्थान में कार्य करने का 05 वर्ष का अनुभव हो तथा राज्य लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की हो. 2. यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो अन्य विभागों से लेखापाल के पद पर कार्यरत व्यक्ति के स्थानांतरण द्वारा, जिसे लेखा तथा रोकड़ कार्य का अनुभव हो तथा राज्य लेखा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र धारक हो".

2. अनुसूची-चार में, अनुक्रमांक-5 तथा उससे संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
गृह (पुलिस) विभाग	*5, भण्डारी/ सहायक ग्रेड-3	रोकड़िया	5 वर्ष	1. संयुक्त सचिव, गृह - अध्यक्ष 2. सीनियर फारेंसिक स्पेशलिस्ट - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य

***टीप.**—केवल प्रशिक्षित निम्न श्रेणी लिपिक (सहायक ग्रेड-3) ही रोकड़िया के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होंगे.

No. F-2(A) 13-2013-B-4-Two.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Medico-Legal Class-III (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988, namely :—

AMENDMENTS

In the said rule,—

1. In Schedule-II, for Serial No. 2, and entries relating thereto, the following Serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Ministerial			
"Home (Police) Medico-Legal Institute	Madhya Pradesh Medico Legal (Non Gazetted) Service 2. Cashier	1	-	100%	-	(1) From store Keeper/Assistant Grade-III having five years office experience of this institute and having passed State Accounts Training Examination. (2) If suitable candidate is not available, then by transfer from the post of Accountant from other Departments. The person must have 5 years experience in accounts and cash work and should possess State Accounts Training Certificate".

2. In Schedule-IV, for Serial No. 5, and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Home (Police) Department	*5. Store Keeper/ Assistant Grade-III	Cashier	5 years	1. Joint Secretary, Home - Chairman 2. Senior Forensic Specialist - Member 3. Administrative Officer - Member

***Note.**—Only trained Lower Division Clerk (Assistant Grade-III) shall be entitled for the Promotion to the post of Cashier.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय शर्मा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.